

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
संपदा प्रबंधक का कार्यालय

इएम/ए एस जी/ एफ -310/8679

27 मार्च 2014

परिपत्र

प्रति,

पट्टेदार /किरायेदार / लाईसेंसधारी एवं
आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी संबंधित,

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान किराये पर
स्त्रोत पर कर की कटौती.
-टी.डी.एस. प्रमाणपत्रों का अग्रेषण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-I के अधीन, कोई व्यक्ति जो किसी निवासी को किराये के रूप में कोई आय अदा करने के लिए जिम्मेदार है, आदाता के खाते में इस प्रकार की आय जमा करते वक्त या नकद भुगतान करते समय या चेक अथवा ड्राफ्ट जारी करता है या किसी अन्य माध्यम से, जो भी पहले हो, आयकर प्राधिकारियों द्वारा सूचित आवधिक दर से उस पर आयकर की कटौती करनी चाहिए, जो किसी भूमि या इमारत का या किसी इमारत से सम्बद्ध भूमि का इस्तेमाल के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये दस प्रतिशत है. उक्त धारा के परंतुक के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार के आय की जमा या नकद भुगतान की गई राशियों का पूर्ण योग यदि रु. 1,80,000/-से अधिक नहीं है तो कोई भी कटौती नहीं की जाये. वहीं अनुच्छेद 197 द्वारा आयकर विभाग के निर्धारण अधिकारी को, कर दाता से आवेदन प्राप्त होने पर किसी निचली दर अथवा “कुछ नहीं” दर पर आयकर की कटौती का एक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान है.

2. जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही के दौरान, दि. 19 जून 2013 तक अदा किये गये किराये पर कई पट्टेदार और किरायेदारों द्वारा @ 10% की दर से आयकर की कटौती की गई थी जिसके बाद कुछ पट्टेदारों और किरायेदारों के मामले में संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 197 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक के लिए जारी प्रमाणपत्रों के अनुसार “कुछ नहीं” की दर पर कर की कटौती की जानी थी. इस प्रकार, 20.06.2013 से 31.03.2014 तक किरायों की रसीदों पर आयकर की कटौती अपेक्षाआकृत कम हुई है.

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्त होने वाला है। आयकर विवरण दायर करते समय किरायों पर स्रोत पर की गई आयकर की कटौती जमा करने का दावा करने के लिये, कृपया टीडीएस प्रमाण पत्र (फार्म ने. 16 ए) तुरंत प्रस्तुत करें जो कर की कटौती करने वाले ने इसके लिये उपलब्ध वेब साइट 'ट्रेस' ('TRACES') से सिर्फ उपलब्ध वेब साइट- 'ट्रेस' ('TRACES') से डाउनलोड करना चाहिए। आयकर विवरण दायर करते समय भी, फार्म 26 एएस में दिखाई गयी राशि - 'ट्रेस' के अनुसार जमा दिखाये जाने पर-खासकर उस वित्तीय वर्ष में टीडीएस के प्रति धन वापसी का दावा किया जाना चाहिए। इससे आपके खाते में बकाया टीडीएस राशियां कम करके दिखाये जाने में सहायता मिलेगी। पट्टेदारों और किरायेदारों से प्रतिक्षित टीडीएस प्रमाण पत्रों की सूची रोकड कार्यालय के सूचना फलक पर सामान्य जानकारी के लिये प्रदर्शित की गई है।

4. इस प्रकार आपको सुनिश्चित करना है कि प्रेषित प्रमाणपत्र ट्रेस से डाउन लोड किये गये हैं, और न कि अपने हाथ से प्रिंट किये गये हैं। चूंकि आयकर विभाग 26 एएस में दिखाई गई राशि तक की ही धन वापसी की अनुमति देता है, किसी भी मामले में हाथ से प्रिंट किये गये फार्म 16ए स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऐसे मामलों में जहां मुं.पो.ट्र. देयताओं का स्रोत पर कर की कटौती के बाद पूरा भुगतान, पोर्ट उपभोगताओं ने कर दिया है तथा धन वापसी का अनुरोध किया गया है, उन पट्टेदारों / किरायेदारों को टीडीएस प्रमाणपत्रों के प्रति कोई जमा/धन वापसी की अनुमति नहीं होगी। जिन्होंने उन्हें हाथ से बनाकर जारी किया है।

5. दि. 01.04.2014 से, आपसे अनुरोध है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 194-I के अनुसार इस कार्यालय से अगली सूचना मिलने तक टीडीएस की कटौती करें।

6. सभी किरायेदारों / पट्टेदारों / लाईसेंसधारकों को आवश्यक है कि वे आयकर विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित पैन (PAN) नं. टैन (TAN) नं. प्रस्तुत करें जिसमें मुं.पो.ट्र. का सही बिलिंग कोड नं. एवं प्लॉट नं., भुगतान के प्रकार सहित माहवार बिल का विवरण व टीडीएस की बिल अदा की गई राशि दर्शायी गई हो ताकि इस प्रकार उनके द्वारा अदा की गई राशियों का उचित हिसाब रखने में सुविधा हो। तिमाही चालानों , टीडीएस प्रमाण पत्रों , टैक्स रिटर्न आदि सहित संदर्भित सभी भुगतानों तथा संबंधित आयकर दस्तावेजों को केवल निर्धारित समय के अंदर ही संपदा रोकड अनुभाग में प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा प्राप्त की गई राशि को "मुं. पो.ट्र. को देय बकायों की अदा की गई क्षतिपूर्ति" के ----- किया आंशिक भुगतान माना जायेगा।

7. इस मामले में आपके सहयोग की प्रार्थना है।

हस्ता/-
(गौ.दत्ता)
संपदा प्रबंधक

